

न्यायालय उप जिलाधिकारी छाता जनपद मथुरा

वाद संख्या 37 वर्ष 2012-13

सहरावत शिक्षा समिति द्वारा अध्यक्ष पवन कुमार बनाम

धारा 143 ज ० वी० अधिनियम

उत्तर प्रदेश सरकार

मौजा बठैन खुर्द तहसील छाता

आदेश

प्रार्थी सहरावत शिक्षा समिति द्वारा अध्यक्ष पवन कुमार पुत्र लेखराज निवासी हथीन तहसील हथीन ने धारा 143 जैड०ए०एल०आर०एक्ट से प्रार्थना पत्र आबादी घोषणा के लिए इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौजा बठैन खुर्द के खसरा संख्या 1099 रकवा 2.578 हैक्टर में से ०-८१० है० के संकमणीय भूमिधर है | यह कि उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई फसल नहीं है भूमि आबादी के प्रयोग में आ रही है अविष्य में भी उक्त वर्णित भूमि आबादी के प्रयोग में ही रहेगी यह कि उक्त भूमि मत्स्यपालन, कुस्कुट पालन आदि कृषि से संबंधित कार्यों में प्रयोग नहीं हो रही है | अंत में अपनी उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने की याचना की है | प्रार्थना पत्र के साथ अपना कथन समर्थित शपथ पत्र व नकल खतौनी की प्रति को सलंगन क्या है | इस मामले की गहन जांच तहसीलदार छाता के करायी गयी | जांच आख्या दिनांक 23/08/2013 पत्रावली पर उपलब्ध है |

चुंकि की तहसीलद छाता से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 23/08/2013 से यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थी मौजा बठैन खुर्द के खसरा संख्या 1099 रकवा 2.578 हैक्टर० में से ०-८१० है० के संकमणीय भूमिधर है | राजस्व अभिलेख नकल खतौनी के अवकोलन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी संकमणीय भूमिधर है | जांच आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं है और न ही कृषि से संबंधित किसी कार्य में प्रयोग हो रही है अपितु आबादी के प्रयोग में आ रही है | तहसीलदार छाता ने क्षेत्रीय लेखपाल व राज्यस्व निरीक्षक के उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने संबंधित आख्या में सहमत होते हुए अग्रसरित किया है | अतः जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि को आबादी अधोलिखित प्रारूप पर घोषित किया जाता है -

1. धारा इसके अंतर्गत घोषणा की जा रही है धारा 143 जैड. ए. एल. आर. एक्ट
2. मौजा जहां भूमि स्थित है मौजा बठैन खुर्द तहसील छाता
3. खसरा संख्या व रकवा जिसे ख०स० 1099 रकवा 2.578 में से आबादी घोषित किया जा रहा है ०-८१० हैक्टे०
4. मालगुजारी 10.50रु०

जांच अधिकारी / तहसीलदार छाता के जांच रिपोर्ट इस आदेश का अंग रहेगी | आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार छाता को माल कागजात में अमलदरामद हेतु एवं उप नीबन्धक चाचा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करवाद को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए |

दिनांक 23 अगस्त , 2013



(डॉ राजेशकुमार प्रजापति)
उप जिलाधिकारी, छाता

TRUE-COPY

8/13
R.D.O. CHATTA